रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड—3 उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 422] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 12, 1971/श्रावण 21, 1893

No. 422] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 1971/SRAVANA 21, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 12th August 1971

S.O. 3002/15/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as Shri Durga Cotton Spinning and Weaving Mills Ltd., P.O. Komnagar (Dist. Hoogly), for which having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of—

Chairman

(1) Shri T. P. Chakravarti, Amar Bhawan, P-10, New Howrah Approach Road, Southern Block, Calcutta.

Members

(2) Shri P. V. Seshadri, Technical Director (Spinning) National Textile Corporation Ltd., New Delhi.

(3) Shri F. C. Dhaun, Director (Finance), National Textile Corporation Ltd., New Delhi.

(4) Dr. S. M. Mukherjee, Regional Director, Apprenticeship Training Scheme, Eastern Region, Calcutta.

(5) Shri A. C. Sarkar, Accounts Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, Narayani building, Barbourne Road, Calcutta.

(6) Shri R. K. Rakshit, Director, Office of the Textile Commissioner, Bombay-20.

[No. 9(18)/Lic. Pol./71.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1971

का० आ० 3002/15/आई० डी० आर० ए०/71.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि श्री दुर्गा कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०, पो० आ० कोन्नगर (जिला हुगली) नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के संबंध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है, जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समय तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

(1) श्री टी० पी० चक्रवर्ती, अध्यक्ष
अमर भवन, पी-10 न्यू हावड़ा एप्रोच रोड, साउथ ब्लाक,
कलकत्ता-1

(2) पी० वी० शेषाद्री, सदस्य
तकनीकी निदेशक (स्पिनिंग)
राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, नई दिल्ली ।

एफ० सी० धान, सदस्य
निदेशक (वित्त)
राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, नई दिल्ली ।

(4) डा० एस० एम० मुखर्जी, सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक,
शिक्षुता (अप्रेनटिसशिप) प्रशिक्षण योजना,
पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता ।

(5) श्री ए० सी० सरकार सदस्य
लेखा अधिकारी,
क्षेत्रीय निदेशक, समवाय विधि बोर्ड, का कार्यालय,
नारायणी बिल्डिंग,
बारबोर्न रोड, कलकत्ता ।

(6) श्री आर० के० रक्षित — सदस्य सचिव
निदेशक,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
बम्बई-20.

[सं० 9(18)/लाई०पोल०/71]

एम० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED RY THE GENENRAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971